न्यायालय : - उपजिलाधिकारी
मण्डल :देवीपाटन , जनपद :गोंडा , तहसील :मनकापुर
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202108300704379
वाद संख्या:- 4379/2021
पं0 जमुना प्रसाद शिक्षण संथान गौराचौकी प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 80
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 23/10/2021

निर्णय

प्रस्तुत वाद राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी नि0ग्रा0-कूकनगरग्रन्ट पश्चिमी परगना-बूढ़ापायर तहसील-मनकापुर जनपद-गोण्डा का वाद धारा-80(1)उ0प्र0रा0सं0 2006 के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु आवेदन दिनं०क-07.04.2021 पर प्रारम्भ हुआ। प्रार्थी का गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.081हे0 व गाटा सं0-453/0.411हे0 भूमि पर पं0 जमुनाप्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चैकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी बाउन्ड्रीवाल बनाकर अकृषिक के रूप में प्रयोग कर रहा है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उक्त भूमि गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.0810हे0 व गाटा सं0-453/0.4110हे0 भूमि स्थित ग्राम-मन्नीजोत परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा को प्रार्थी द्वारा अकृषिक घोषित करने हेतु याचना किया गया है।

पत्रावली नायब तहसीलदार मनकापुर को जांच हेतु पृष्ठांकन आदेश दिनं०क-10.04.2021 को प्रेषित किया गया। नायब तहसीलदार मनकापुर की जांच आख्या दिनांक-18.10.2021 के अनुसार ग्राम-मन्नीजोत परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जनपद गोण्डा स्थित गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.0810हे0 व गाटा सं0-453/0.4110हे0 में पं0 जमुनाप्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चैकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी उपरोक्त के नाम संक्रमणीय भूमिधर कागजात है। गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.0810हे0 व गाटा सं0-453/ 0.4110हे0 बैनामे के आधार पर बाउन्ड्रीवाल बनाकर अकृषिक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जो अकृषिक होने योग्य है। ग्राम-मन्नीजोत परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा की खातौनी वर्ष 1423-1428फ0 के खाता सं0-00035 के गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.0810हे0 व खाता सं0-00184 के गाटा सं0-453/0.4110हे0 भूमि पर पं0 जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चैकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी नि0ग्रा0-कूकनगरग्रन्ट पश्चिमी परगना बूढ़ापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा के नाम उ0प्र0रा0सं02006 की धारा-80 के अन्तर्गत गैर कृषिक क्षेत्रफल दर्ज करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है।

नायब तहसीलदार मनकापुर की आख्या दिनं०क-15.04.2021 प्राप्त होने के पश्चात उपनिबन्धक मनकापुर से (बाउन्ड्रीवाल बना होने के कारण) अकृषिक घोषित करने हेतु वर्तमान रेट के अनुसार मूल्यांकन आख्या दिनं०क-31.05.2021 को मांगी गयी। उपनिबन्धक मनकापुर की आख्या दिनं०क-17.06.2021 के अनुसार वर्तमान में भूमि के मूल्यांकन पर देय स्टाम्प शुल्क मु0 16860/-रू0 निर्धारित किया गया है। निर्धारित शुल्क के रूप में आवेदक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी द्वारा मु0 16860/-चालान सं0-थ्स्(00001 व सीमांकन शुल्क 1000/-रू0 चालान सं0-थ्स्(00002 दिनं०क 21.06.2021 को जमा कोष किया गया तथा 16860/-रू0 का स्टाम्प मूल रूप में संलग्न किया गया।

पत्रावली में वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य ग्राम-मन्नीजोत की खतौनी फ0वर्ष 1423-1428, खसरा 1428 फ0, नजरी नक्शा

(2)

जो0च0आ0पत्र 41 व 45 तथा स्थल के दो फोटोग्राफ (जिसमें बाउन्ड्रीवाल बना हुआ दर्शित है) तहसीलदार मनकापुर की आख्या दिनं०क-15.04.2021 का सम्यक परिशीलन किया गया। गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.0810हे0 खाता सं0-00184 के गाटा सं0-453/0.4110हे0 पर बाउन्ड्रीवाल बना हुआ है। कृषि कार्य नहीं हो रहा है। ०उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आदेश किया जाता है कि ग्राम-मन्नीजोत परगना-बूढ़ापायर तहसील-मनकापुर, जिला-गोण्डा की वर्तमान खतौनी 1423-1428फ0 के खाता खाता सं0-00035 के गाटा सं0-443/0.6900हे0 में 0.0810हे0 व खाता सं0-00184 के गाटा सं0-453/0.4110हे0 भूमि पर अंकित खातेदार पं0 जमुना प्रसाद शिक्षण संस्थान गौरा चैकी गोण्डा प्रबन्धक राजमणि त्रिपाठी पुत्र जमुना प्रसाद त्रिपाठी नि0ग्रा0-कूकनगरग्रन्ट पश्चिमी (बाउन्ड्रीवाल बना होने के कारण) कृषि कार्य से भिन्न उपयोग होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में ०नुपालन हो। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक मनकापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। पत्रावली बाद अंकना दाखिल दफतर हो।

दिनांक-23.10.2021

(ज्ञानचन्द्र गुप्ता)
उप जिलाधिकारी
मनकापुर-गोण्डा।

Disclaimer :
उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"

कार्यालय तहसीलदार मनकापुर गोण्डा

पत्रांक —

दिनांकः 26/06/22

प्रमाण पत्र

<u>संस्थान निर्मित, संयुक्तता एवं विवाद रहित</u>

लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या दिनांक 01/02.06.2022 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि गाटा सं0–443/0.0810 हे0 व 451/0.3370 हे0 व 453/0.4110 हे0 कुल 3 किता रकबा 0.829 हे0 (2.048 एकड़) स्थित ग्राम मन्नीजोत परगना बूढापायर तहसील मनकापुर जिला गोण्डा उ0प्र0 जो पं0 पं0 जमुना प्रसाद शिक्षण समिति गौरा चौकी के नाम बतौर अभिलेख दर्ज है उपरोक्त ट्रस्ट द्वारा पं0 जमुना प्रसाद इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी के भवन का निर्माण किया गया है जिसमें शैक्षिणिक कार्यो का संचालन समिति द्वारा किया जायेगा।

26/6/22

तहसीलदार
मनकापुर गोण्डा

तहसीलदार
मनकापुर